अनुबन्ध-पत्र (Memorandum of Understanding)

अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर। --प्रथम पक्ष

एवं

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हैड, कृषि विज्ञान केन्द्र (आईसीएआर), गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर।- द्वितीय पक्ष

इन दोनों पक्षकारान के मध्य निम्नलिखित रूप से अनुबंध किया जाता है-

1. यह कि आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), 25 राजकीय विद्यालयों (22 ग्रामीण एवं 03 शहरी) में गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर द्वारा शैक्षिक सम्बलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है इन विद्यालयों में बच्चों को कृषि व कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे वे कृषि के क्षेत्र में होने वाली प्रगति से अवगत हो सकें तथा आधुनिक कृषि तकनीकी की जानकारी प्राप्त कर सकें।

2. उद्देश्य -

   1. यह कि उक्त कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर कृषि विज्ञान केन्द्र और आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा इन विद्यालयों के बच्चों को जागरूक करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।
   2. यह कि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा समय-समय पर विद्यालय, छात्र, अध्यापक, अभिभावकों को कृषि संबंधी जानकारी दी जायेगी।
   3. कृषकों को नई उन्नत कृषि उत्पादन तकनीकी की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।
   4. यह कि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित कर कृषि से संबंधित जागरूकता पैदा की जायेगी।
   5. यह कि समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों, अभिभावकों के साथ विचारों व जानकारी का आदान-प्रदान किया जायेगा।
   6. यह कि कृषकों व कृषि विज्ञान के अधिकारियों व शैक्षणिक अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से उन्नत कृषि उत्पादन प्राप्त करने हेतु शोध कार्य संपादित किया जायेगा।

3. सहयोग-

   1. चयनित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

2. आयुर्वेद विश्व भारती और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य आपसी विचार व जानकारी का आदान प्रदान होगा।
3. समय-समय पर विषय-विशेषज्ञों की विशेष वार्ता व कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

4. आर्थिक व्यवस्था--
1. यह कि कार्यक्रम आयोजन हेतु समस्त व्यय मानित विश्वविद्यालय द्वारा ही वहन किया जायेगा।
2. स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता हेतु प्रशिक्षण सामग्री व साधन आयुर्वेद विश्व भारती द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
3. यह कि उक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यदि कोई यात्रा की जाती है या कोई अन्य खर्चा होता है तो उसकी व्यवस्था मानित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

5. नियम और शर्तें–
1. अनुबन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर ही किया जा सकेगा।
2. विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की सूचना पूर्व में दी जानी आवश्यक है।
3. कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आर्थिक व्यय दोनों पक्षों के पास उपलब्ध वित्त व्यवस्था के आधार पर किया जायेगा।

6. समन्वयन- यह कि दोनों पक्षों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आपसी विचार विमर्श के पश्चात कार्यक्रम आयोजन हेतु दिनांक, स्थान व समय का निर्धारण किया जायेगा।दोनों पक्ष आपसी समन्वय बनाये रखेंगे।

7. प्रकाशन–आपसी समन्वय से आयोजित कार्यक्रमों के प्राप्त परिणामों का समय-समय पर प्रकाशन किया जायेगा।

उपरोक्त अनुबंध पत्र हम दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर हमारे हस्ताक्षरों से आज दिनांक..10.1.2019.....को निष्पादित किया गया है ताकि भविष्य में वक्त जरुरत काम आये।

यह अनुबंध 3 साल तक मान्य होगा, उसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
अधिष्ठाता
शिक्षा संकाय
(मानित विश्वविद्यालय),
सरदारशहर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
प्राचार्य
श्री भं.ला.दू.आ.वि. भारती
मा. वि.मं., सरदारशहर (चूरू)

साक्षीगण
1. सरिता शर्मा
2 प्रवीण शर्मा